"बिज़नेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 131-अ] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 2 जून 2009—ज्येष्ठ 12, शक 1931

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 जून 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-7-35/सात-3/2008.—छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्र. 7 सन् 2004) की धारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित अधिकारी को कॉलम (3) में वर्णित क्षेत्र के लिए सक्षम प्राधिकारी प्राधिकृत तथा नियुक्त करती है.

अनुसूची

क्रमांक (1)	अधिकारी का पदनाम (2)	क्षेत्राधिकारिता (3)
1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जगदलपुर जिला बस्तर	सम्पूर्ण जगदलपुर अनुभाग क्षेत्र

Raipur, the 2nd June 2009

NOTIFICATION

No. F-7-35/7-3/2008.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 2 of the Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User Appoints in Land) Act, 2004 (Number 7 of 2004) the State Government hereby, Authorises and appoints as Competent Authority the officer in column (2) for the area mentioned against them in column (3) of the schedule given below to perform the functions of the Competent Authority under the said Act.

SCHEDULE

S. No. (1)	Designation of Officer (2)	Jurisdiction on the Area (3)
1	Sub Divisional Officer (Revenue) Jagdalpur District Bastar	Entire area of the Jagdalpur Sub Division

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल टुटेजा, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.